

पोक के निषिद्ध होने का क्या कारण है?

﴿ ما هو سبب تحريم لحم الخنزير؟ ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندی]

मुहम्मद सालेह अल-मुनजिजद

अनुवाद: अताउर्रहमान ख़ियातल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ ما هو سبب تحريم لحم الخنزير؟ ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com



बिस्तिमन्लाहिर्हमानिर्हीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आश्रम करता हूँ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرْوَرِ أَنفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَبَعْدَ:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ़्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पोर्क के निषिद्ध होने का क्या कारण है?

प्रश्न :

मैं माल्टा में रहने वाला एक अरब मूल का व्यक्ति हूँ, मैं सुअर के मांस के निषिद्ध होने का कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले दोस्तों ने मुझ से इसके बारे में पूछा है।

उत्तर :

हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

मूल रूप से एक मुसलमान अल्लाह के आदेश का पालन करता है और उसकी मना की हुई बातों से बचाव करता है, चाहे उस चीज़ के अन्दर अल्लाह सुव्हानहु व तआला की हिक्मत (नीति विद्या) का उसे बोध हा या न हो।

मुसलमान के लिए वैध नहीं है कि वह शरीयत के आदेश को नकार दे, या उसको लागू करने में संकोच करे यदि उसे उसकी हिक्मत का बोध न हो, बल्कि किसी चीज़

के हलाल (वैध) और हराम (अवैध) ठहराये जाने के बारे में शरीयत के हुक्म को स्वीकार करना अनिवार्य है जब भी वह प्रमाण सिद्ध हो जाये; चाहे उसकी हिक्मत की समझ हो या न हो। अल्लाह तआला का फरमान है :

“और (देखो) किसी मुसलमान मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपनी किसी बात का कोई अधिकार बाकी नहीं रह जाता। (याद रखो!) अल्लाह तआला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वह खुली गुमराही में पड़ेगा।” (सूरतुल अहज़ाब : ३३)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

“ईमान वालों का कहना तो यह है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल उन में फैसला कर दें तो वह कहते हैं कि हम ने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं।” (सूरतुन नूर : ५९)

इस्लाम में सुअर का मांस कुरूआन के स्पष्ट प्रमाण के द्वारा हराम (निषिद्ध) किया गया है, और वह अल्लाह तआला का यह कथन है : “तुम पर मुर्दा, (बहा हुआ) खून और सुअर का मांस हराम है।” (सूरतुल बक़रा : १७३)

किसी भी परिस्थिति में मुसलमान के लिए उसको खाना वैध नहीं है सिवाय इसके कि उसे ऐसी ज़खरत पेश आ जाये जिस में उसका जीवन उसे खाने पर ही निर्भर करता हो, उदाहरण के तौर पर उसे ऐसी सख्त भूख लगी हो कि उसे अपनी जान जाने का भय हो, और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा भोजन न हो, तो शरीयत के नियम : “आवश्यकतायें, अवैध चीज़ों को वैध बना देती हैं।” के अंतर्गत उसके लिए यह वैध होगा।

शरीयत के ग्रंथों में सुअर के मांस के हराम किए जाने के किसी विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, इस के बारे में केवल अल्लाह तआला का यह कथन है कि : ((यह निश्चित रूप से गंदा -अशुद्ध और अपवित्र- है))

‘रिज्स’ (अर्थात् अपवित्र) का शब्द उस चीज़ पर बोला जाता है जो शरीयत में तथा शुद्ध मानव प्रकृति वाले लोगों की निगाह में घृणित, धिनावनी और अशुद्ध हो। और मात्र यही कारण उसके हराम होने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह एक सामान्य कारण भी वर्णित हुआ है, और वह खाने और पीने इत्यादि में हराम चीज़ों की निषिद्धता के बारे में वर्णित कारण है, और वह पोर्क के निषेद्ध की हिक्मत की ओर संकेत करता है, वह सामान्य कारण अल्लाह तआला का यह फरमान है :

“और वह (अर्थात् पैगम्बर) पाक (शुद्ध) चीज़ों को हलाल (वैध) बताते हैं और नापाक (अशुद्ध) चीज़ों को हराम (अवैध) बताते हैं।” (सूरतुल आराफ़ : १५७)

इस आयत का सामान्य अर्थ सुअर के मांस के निषिद्ध होने के कारण को भी सम्मिलित है, और इस से ज्ञात होता है कि पोर्क इस्लामी शरीयत के दृष्टिकोण में अशुद्ध और अपवित्र चीज़ों में से गिना जाता है।

इस स्थान पर ‘अपवित्र चीज़ों’ (खबाइस) से अभिप्राय वह सब कुछ है जो मानव के स्वास्थ्य, धन और नैतिकता के लिए हानिकारक हो, अतः हर व चीज़ जिस का मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से किसी एक पर भी नकारात्मक परिणाम और दुष्टप्रभाव हो वह अपवित्र (खबाइस) के अतर्गत आता है।

वैज्ञानिक और चिकित्सा अनुसंधानों ने भी यह सिद्ध किया है कि सुअर, अन्य सभी जानवरों के बीच मानव शरीर के लिए हानिकारक रोगाणुओं का एक भण्डार है, इन हानिकारक तत्वों और रोगों का विस्तार लंबा है, संघिष्ठ रूप से वे इस प्रकार हैं :

परजीवी रोग, जीवाणु रोग, वायरल रोग, बैक्टीरियल बीमारियां, और अन्य।

ये और अन्य हानिकारक प्रभाव इस बात का प्रमाण हैं कि बुद्धिमान शास्त्रकार ने सुअर का मांस खाना किसी व्यापक हिक्मत के लिए ही हराम ठहराया है, और वह मानव के जान (स्वास्थ्य) की रक्षा है, जो कि इस्लामी शरीयत के द्वारा संरक्षित पाँच बुनियादी ज़रूरतों में से एक है।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखने वाला है।

इस्लाम प्रश्न एंव उत्तर